

कार्यालय विक्रय अधिकारी

उत्तर प्रदेश वन निगम

एच-15 अशोक विहार कालोनी-फेज-1 पहड़िया, वाराणसी

Email-dsmvar@upfc.in

पत्रांक : 509

निष्प्रयोज्य

दिनांक : 15-07-24

निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश वन निगम प्रयागराज के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित चार पहिया (टाटा सफारी) जो कि अग्निपथ कालोनी परिसर, प्रयागराज में खड़ी है। इसी प्रकार मऊआईमा डिपो प्रयागराज में खड़ी केन उपलब्ध है, जिसका सार्वजनिक नीलाम "जो जहाँ है जैसे है" के आधार पर सर्वजनिक नीलाम दिनांक 23.07.2024 मऊआईमा डिपो उ०प्र०वन निगम, मऊआईमा प्रयागराज में प्रातः 11.00 बजे से प्रस्तावित किया जाता है। प्रश्नगत नीलाम की कार्यवाही प्रकाष्ठ समिति नीलाम के साथ सम्पन्न किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से नीलाम के समय समिति का कोई सदस्य उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो ऐसी दशा में उक्त नीलाम स्थगित किया जा सकता है। नीलाम शर्तें मऊआईमा डिपो उ०प्र०वन निगम, मऊआईमा, प्रयागराज के कार्यालय से किसी कार्य दिवश में दिनांक 19.07.2024 से रु० 150.00 देकर प्राप्त की जा सकती है उक्त सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम के वेबसाइट www.upforestcorporation.com.in पर उपलब्ध है।

(आर०के चोंदना)

सहायक वन संरक्षक/विक्रय अधिकारी, वाराणसी

पत्रांक 509 तददिनांक

प्रतिलिपि (1) प्रबन्धक एडोर एडवरटाजिंग, प्रा०लि० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलाम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र हिन्दुस्तान, प्रयागराज, वाराणसी संस्करण में (5*7=35 cm) प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रतिनिधि को नामित कर निर्धारित तिथि व समय पर निर्धारित स्थान पर उपस्थित होने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- महा प्रबन्धक (पूर्वी) उ०प्र०वन निगम, प्रयागराज के पत्रांक म०पू० 12 दिनांक 2 जून 2023 के क्रम में सूचना प्रेषित।

4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, (मुख्यालय) उ०प्र०वन निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5- क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र०वन निगम, प्रयागराज प्रयागराज के पत्रांक 2494 दिनांक 10 फरवरी 2024 के क्रम में सूचना प्रेषित।

6- लौगिंग अधिकारी, उ०प्र०वन निगम, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग), उ० प्र० वन निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8- समस्त डिपो/गोदाम अधिकारी वन निगम, वाराणसी विक्रय प्रभाग, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना केतऔ में व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

(आर०के चोंदना)

सहायक वन संरक्षक/विक्रय अधिकारी, वाराणसी

निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के नीलाम हेतु नियम व शर्तें

- कार्याल डिपो मऊआईमा उ0प्र0वन निगम, प्रयागराज में निष्प्रयोज्य वाहनों का नीलाम दिनांक 23.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे सक्षम स्तर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों के नीलाम हेतु नीलाम में भाग लेने वाले क्रेताओं के से रु0 10000.00 गेटमनी (प्रवेश शुल्क) लिया जायेगा जो नीलाम के तुरंत बाद वापसी अथवा जमानत से समायोजन कर ली जायेगी।
- वाहनो का नीलाम "जहाँ है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा। बोली देने से पूर्व बोलीदाता वाहनों को भली-भाँति देख लें। बोली स्वीकृति होने के पश्चात वाहनों के भौतिक अथवा तकनीकी स्थिति पर कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
- नीलाम के उच्चतम बोलीदाता के नाम ही बोली स्वीकार की जा सकती है। क्रेता के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
- नीलाम में उच्चतम बोली स्वीकार होने पर बोलीदाता को उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत अथवा 5000.00 जो भी अधिक हो जमानत के रूप में जमा करना होगा, जिसका उच्चतम बोली के रूप में समायोजन विक्रय मूल्य जमा करने में कर लिया जायेगा।
- उ0प्र0वन निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति कर सकता है।
- उच्चतम बोली सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही स्वीकार मानी जायेगी।
- बोली स्वीकृति होने के पश्चात स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड/मेल/व्हाटसप/से भेजी जायेगी। रजिस्टर्ड की तिथि को छोड़कर 10 दिनों के अन्दर समस्त विक्रय मूल्य एवं करों धनराशि जमा करना होगा। समस्त विक्रय मूल्य का बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0वन निगम, के नाम पर बना हो (जो वाराणसी में देय) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उ0प्र0वन निगम, वाराणसी के कार्यालय में जमा करना होगा। इसका समायोजन जमानत धनराशि से भी किया जा सकेगा। समस्त विक्रय धनराशि जमा करने के साथ-साथ नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अनुमन्य समस्त करों का भुगतान पृथक से करना होगा।
- बोली स्वीकृति की सूचना के प्रेषण के तिथि से 30 दिन के अन्दर वाहन निकासी लेना होगा।
- उच्चतम बोलीदाता को वाहन ले जाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब सम्पूर्ण विक्रय मूल्य व अन्य देयकों को भुगतान कर दिया हो व वाहन ले जाने की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली हो।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि से सम्पूर्ण विक्रय मूल्य एवं करों का भुगतान न जमा पर इनके द्वारा जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसके पश्चात वन निगम वाहनों को नीलाम करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- सफलता बोलीदाता द्वारा वाहन की निकासी लेने की तिथि से उक्त वाहन से सम्बन्धित लाईविलिटी क्रेता की स्वयं की होगी।
- निकासी लेने की तिथि से 15 दिन के भीतर क्रेता उक्त वाहन को अपने नाम से हस्तान्तरित कराना अनिवार्य होगा तथा उसकी छायाप्रति कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0वन निगम, वाराणसी को उपलब्ध कराना होगा।
- नीलाम होने के पश्चात वाहनों की देखरेख की जिम्मेदारी उच्चतम बोलीदाता की होगी, लेकिन वाहन उ0प्र0वन निगम परिसर में ही रहेगा।
- किसी भी विवाद के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक (मुख्यालय) उ0प्र0वन निगम, लखनऊ आर्वाट्रेटर होंगे जिनका निर्णय -दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(आर0के0चौदना)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक

नीलाम हेतु विक्रय सूची नीलाम दिनांक

क्र0स0	वाहन का प्रकार व संख्या	वाहन का मॉक / मॉडल	स्थान जहां वाहन खड़ा है।
1	यू0पी0 43 एम 5577 (टाटा सफारी)	2010	अग्निपथ कालोनी परिसर प्रयागराज में खड़ी।
2	यू0पी0 41 टी 9743 (केन)	2013	मऊआईमा डिपो प्रयागराज में खड़ी

(आर0के0चौदना)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक